विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2017

वेबकास्टिंग / निर्वाचन / महत्वपूर्ण

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट, हजरतगंज, लखनऊ–226001

संख्या–130 / सीईओ–4–45 / 4–2014 लखनऊः दिनांकः 11 जनवरी, 2017

सेवा में,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,,
उत्तर प्रदेश।

विषयः **आगामी विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2017 में मतदान प्रकिया की मॉनीटरिंग हेतु मतदेय स्थलों पर लाइव वेबकास्टिंग कराये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर कृपया इस कार्यालय के परिपत्र संख्या–3419 / सीईओ–4–45 / 4–2014, दिनांक–12.09.2016 का संदर्भ लें जिसके पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के में मतदान के दिन कम से कम से 10% मतदेय स्थल पर वेबकास्टिंग हेतु तैयारी किये जाने के निर्देश दिये है। मतदेय स्थलों को चयन करने की उक्त सीमा अधिकतम सीमा नही है। व्यवहारिक सुविधाओं के दृष्टिगत ज्यादा से ज्यादा मतदेय स्थलों को जो वर्नेबिल क्षेत्रों में आते हो तथा क्रिटिकल मतदेय स्थलों के रूप में चिन्हित हों, को वेबकास्टिंग हेतु चयनित किया जा सकता है।

2– उक्त कम में मुझे यह कहना है कि आगामी विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2017 में जनपदों में चयनित मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग का कार्य केन्द्रीयत रूप से **National Informatics Centre Services Inc.(NICSI), नई दिल्ली के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है।** अतः जनपदों में वेबकास्टिंग संबंधी कार्य हेतु स्थानीय स्तर पर निविदाएं आमंत्रित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। वेबकास्टिंग हेतु निर्वाचन कार्यहित में जिला प्रशासन / जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निम्न कार्यवाही की जानी हैः–

i. जिला प्रशासन / जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन कार्यहित में वेबकास्टिंग हेतु चयनित कार्यदायी संस्था को मैनपावर उपलब्ध कराकर उनके कार्य को सरल बनाने में तथा प्रयुक्त सामग्रियों के गायब / चोरी इत्यादि हो जाने की दशा में FIR आदि दर्ज कराने में यथासंभव सहयोग / कार्यवाही की जायेगी जिससे कि कार्यदायी संस्था को बीमा क्लेम के आधार पर उनके नुकसान की भरपायी हो सके।

ii. निक्सी को वेबकास्टिंग के लिए जिला स्तर पर मैनपावर की आवश्यकता को सी0एस0सी0 / आई0टी0आई0 / पालीटेक्निक अथवा अन्य तकनीकी संस्थान के कार्मिकों के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूर्ण किया जायेगा।

iii. निक्सी / कार्यदायी संस्था द्वारा इस संबंध में आवश्यक व्यय हेतु प्रत्येक चरण में रू0–500 / –प्रति कार्मिक की दर से धनराशि संबंधित कार्मिक को भुगतान की जायेगी।

iv. जिला प्रशासन / जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निक्सी / कार्यदायी संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि को मतदेय स्थलों से आने जाने हेतु पास / प्राधिकार पत्र सक्षम स्तर से निर्गत करना सुनिश्चित किया जायेगा।

v. वेबकास्टिंग कार्य के मॉनीटरिंग हेतु जिला स्तर एक कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा जिसमें i3 level system with 2 GB RAM(min) एवं 1Mbps speed

vi. internet connection की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी। इस हेतु निक्सी/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रत्येक जिले को एक dedicated ID एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा।

vii. वेबकास्टिंग से संबंधित तकनीकी गतिविधियों की मॉनीटरिंग एवं निक्सी/कार्यदायी संस्था से सामांजस्य स्थापित करने हेतु जनपद में मुख्य विकास अधिकारी(CDO) अथवा उप जिला निर्वाचन अधिकारी(Dy. DEO) को नोडल अधिकारी नामित कर दिया जाये। उक्त कार्य में एन0आई0सी0 के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी(DIO) एवं प्रिसिंपल आई0टी0आई0 तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे। सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं फोन नम्बर की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये।

viii. निक्सी/कार्यदायी संस्था द्वारा वेबकास्टिंग कार्य हेतु सभी जनपदों को दो चरणों में प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रथम चरण में अधिकारियों को वीडियोकान्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रशिक्षित किया जायेगा। द्वितीय चरण में फील्ड स्तरीय अधिकारियों को जिलाधिकारी कार्यालय में (स्ट्रीमिंग किट लेते समय) प्रशिक्षित किया जायेगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशों को सभी संबंधितों के संज्ञान में लाते हुये कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र राय)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

संख्या–130 (1)/सी0ई0ओ0–4–दिनॉक का–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अधिकारी/अनुभाग, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0।
2. मेसर्स निक्सी, छठवां तल, एन0बी0सी0सी0 टावर, 15, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली।
3. श्री अंशु रोहतगी, जनरल मैनेजर मेसर्स निक्सी, C/O एन0आई0सी0 यू0पी0 स्टेट यूनिट, छठवां तल, योजना भवन, लखनऊ।
4. श्री शैलेश श्रीवास्तव, प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट, एनआईसी योजना भवन, यू0पी0 स्टेट यूनिट, लखनऊ।

(रमेश चन्द्र राय)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।